संख्या-127/2015/4023/26-3-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर, 2015

विषय: दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या-3346/26-3-2015, दिनांक-06 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें पूर्व दशम तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा-11 एवं 12) में नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। वर्ष 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा परीक्षणोपरांत सही आवेदन-पत्रों को अग्रसारित करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।

2- आप अवगत हैं कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत जिन छात्रों को विगत वर्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हो चुकी है, उनकी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का "नवीनीकरण" किया जाना है और "नवीनीकरण" के छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में नियमावली की व्यवस्थानुसार प्राथमिकता दी जानी है। अद्यावधिक सूचना के अनुसार संस्थाओं द्वारा अग्रसारित किये गये वर्गवार नव प्रवेशित तथा नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या निम्नवत् है:-

क्र.सं.	वर्ग	नव प्रवेशित छात्र	नवीनीकरण श्रेणी के छात्र
1	अनुसूचित जाति	7,26,338	3,40,813
2	अनुसूचित जनजाति	12,929	3,041
3	सामान्य वर्ग	5,14,994	2,18,969
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	12,63,884	5,26,560
5	अल्पसंख्यक वर्ग	2,42,324	90,745
6	कुल योग	27,61,469	11,80,128

3- उत्तर प्रदेश सरकार के स्कालरशिप पोर्टले Scholarship.up.nic.in पर वर्ष 2014-15 में संस्थाओं द्वारा अग्रसारित किये गये छात्रों के आवेदन-पत्रों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्र संख्या, संस्थाओं द्वारा अग्रसारित किये गये छात्रों के आवेदन-पत्र व missing छात्रों की संख्या का जनपदवार एवं संस्थावार विवरण स्कालरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। इसमें नवीनीकरण हेतु अर्ह लगभग 36.45 लाख छात्रों के सापेक्ष कुल 17.57 लाख छात्रों के आवेदन-पत्र को अग्रसारित हुआ दर्शाया गया है जबकि प्रस्तर-2 में अंकित तालिका में यह संख्या 11.80 लाख दर्शायी गयी है। इसका मुख्य कारण यह है कि लगभग 5.77 लाख ऐसे छात्र, जो नवीनीकरण हेतु अर्ह थे, ने नव प्रवेशित छात्र के रूप में इस वर्ष आवेदन कर दिया है। संभव है कि त्रुटिवश उन्होंने नव प्रवेशित छात्र के रूप में आवेदन किया हो। यदि उन छात्रों ने पाठ्यक्रम/संस्था परिवर्तित कर दी है, तो प्रथम दृष्टया ऐसे छात्र संदिग्ध श्रेणी में आ जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- राज्य स्तर पर उपलब्ध डाटा के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रदेश में 4,746 ऐसी शिक्षण संस्थायें हैं, जहां से वर्ष 2014-15 में अग्रसारित किये गये छात्रों के आवेदन-पत्रों की संख्या के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण हेतु अर्ह एक भी छात्र के आवेदन-पत्र को अग्रसारित नहीं किया गया है। इस संबंध में विस्तृत स्थिति निम्नवत् है:-

क्र.सं.	नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों का प्रतिशत	संस्थाओं की संख्या
1	0	4746
2	0.1 से 10	1041
3	10.1 से 20	1155
4	20.1 से 30	1131
5	30.1 से 40	1422
6	40.1 से 50	1664
7	50.1 से 60	1770
8	60.1 से 70	1928
9	70.1 से 80	962
10	80.1 से 90	820
11	90.1 से 99	553
12	100 प्रतिशत	194

शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श के दौरान यह बताया गया है कि सामान्यतया किसी भी अच्छे शिक्षण संस्था में drop-out rate 05 से 10 प्रतिशत तक रहता है। अतः जिन संस्थाओं में नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के अग्रसारित आवेदन-पत्रों की संख्या 90 प्रतिशत से कम है, वे प्रथम दृष्टया संदिग्ध श्रेणी में आ जाते हैं। इन सभी संस्थाओं की विस्तृत जांच करायी जानी आवश्यक है।

5- नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के सापेक्ष नव प्रवेशित छात्रों की संख्या कम-से-कम 21.84 लाख है (यदि 5.77 लाख छात्रों को नवीनीकरण श्रेणी का छात्र मान लिया जाता है)। स्पष्ट है कि सभी वर्गों में नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के सापेक्ष लगभग दोगुने छात्र ने नव प्रवेशित छात्र के रूप में आवेदन किया है, जिसे संस्थाओं ने परीक्षणोपरांत अग्रसारित भी किया है। यह स्थिति तार्किक (logical) प्रतीत नहीं होती है। जनपद के प्रत्येक संस्थावार नव प्रवेशित एवं नवीनीकरण के छात्रों का विवरण स्कालरशिप पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है। छात्रों का पता व मोबाईल नंबर भी प्रदर्शित किया गया है ताकि उनकी जांच की जा सके।

6- उपरोक्त परिस्थितियों में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समितिवर्ष 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृति हेतु निम्न व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:-

नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के संबंध में

<u>शिक्षण संस्था के स्तर पर</u>

6.1 जनपद के सभी शिक्षण संस्था के नोडल अधिकारी स्कालरशिप पोर्टल पर अपनी संस्था के सभी missing छात्रों के आवेदन-पत्र को अग्रसारित न करने अथवा आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण को आनलाईन इंगित करेंगे।

6.2 यह कार्य सभी संस्था **विलंबतम दिनांक 30 नवंबर, 2015 तक** पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

6.3 यदि शिक्षण संस्था द्वारा यह कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं किया जाता है, तो उन संस्थाओं के छात्रों का वर्ष 2015-16 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान बाधित हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित शैक्षिक संस्था की होगी।

<u>जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी के स्तर पर</u>

6.4 जनपद के प्रत्येक शिक्षण संस्था के द्वारा स्कालरशिप पोर्टल पर वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण श्रेणी तथा नव प्रवेशित छात्रों की संख्या तथा विवरण का पुनः परीक्षण करेंगे तथा मास्टर डाटा में उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्था के स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा स्वीकृत सीटों की संख्या से छात्रों की संख्या का मिलान कर विवरण के सही होने पर ही छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान की संस्तुति अपने डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे।

6.5 जनपद के जिन संस्थाओं से वर्ष 2014-15 में अग्रसारित किये गये छात्रों में से एक भी छात्र का आवेदन-पत्र वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण श्रेणी में अग्रसारित नहीं किया गया है अथवा अग्रसारित किये गये छात्रों की संख्या जनपद के औसत से भी कम है, की विशेष जांच शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से करायेंगे। जांच रिपोर्ट के विवरण को स्कालरशिप पोर्टल के **'Inspection Module** अंकित करते हुए जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपने कार्यालय में कम-से-कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे तथा पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की संस्तुति करेंगे। Inspection Module दिनांक 23 नवंबर, 2015 से वेबसाईट पर उपलब्ध हो जायेगा।

<u>जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर पर</u>

6.6 संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से भी कम-से-कम 10 प्रतिशत संस्थाओं तथा 05 प्रतिशत छात्रों का रैंडम आधार पर चयन कर भौतिक निरीक्षण करेंगे। रैंडम लिस्ट स्कालरशिप पोर्टल से ही जनरेट किया जा सकेगा। यह सुविधा पोर्टल पर दिनांक 07 नवंबर, 2015 से उपलब्ध हो जायेगी। निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण स्कालरशिप पोर्टल के Inspection Module अंकित की जायेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट अपने कार्यालय में कम-से-कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे। आवश्यकतानुसार नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित तथा उपेपदह छात्रों की भौतिक जांच उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये पते तथा अंकित मोबाईल नंबर अथवा बैंक रिकार्ड के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर</u>

6.7 जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी शिक्षण संस्थान, जिनके द्वारा नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के अग्रसारित आवेदन-पत्र का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है, का विशेष अभियान चलाकर अपने स्तर से निर्धारित तिथि पर भौतिक निरीक्षण करा लें। निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण स्कालरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित करा लेंगे।जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समितिऐसे सभी संस्थाओं, जिनके द्वारा निर्धारित तिथि तक missing छात्रों की जानकारी वेबसाईट पर आनलाईन अद्यावधिक नहीं की गयी है, का वर्ष 2015-16 हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के पूर्व विशेष रूप से भौतिक निरीक्षण करा लेंगे तथा विवरण को स्कालरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित करायेंगे।

<u>नव प्रवेशित छात्रों के संबंध में</u>

6.8 जिन संस्थाओं में नव प्रवेशित छात्रों की संख्या नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या से अधिक है, उन सभी संस्थाओं की विशेष जांच जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति वर्ष 2015-16 हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के पूर्व कराना सुनिश्चित करेगी। विशेष जांच का विवरण स्कालरशिप पोर्टल के Inspection Module अंकित करायेंगे।

<u>जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर पर</u>

6.9 संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी अपने स्तर से जिन संस्थाओं में नव प्रवेशित छात्रों के अग्रसारित आवेदन-पत्रों की संख्या नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों की संख्या से अधिक है, का भी कम-से-कम 10 प्रतिशत संस्थाओं तथा 05 प्रतिशत छात्रों का रैंडम आधार पर चयन कर भौतिक निरीक्षण करेंगे। रैंडम लिस्ट स्कालरशिप पोर्टल से ही जनरेट किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार नव प्रवेशित छात्रों की भौतिक जांच उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये पते तथा अंकित मोबाईल नंबर अथवा बैंक रिकार्ड के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे तथा भौतिक जांच का विवरण स्काॅलरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित करायेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट अपने कार्यालय में कम-से-कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे।

<u>जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6.10 जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी शिक्षण संस्थान, जिनके द्वारा नव प्रवेशित छात्रों के अग्रसारित आवेदन-पत्र की संख्या नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों के आवेदन-पत्रों की संख्या से ज्यादा है, का विशेष अभियान चलाकर अपने स्तर से निर्धारित तिथि पर भौतिक निरीक्षण करा लें तथा भौतिक जांच का विवरण स्कालरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित करायेंगे।

7- **<u>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदन का प्रारूप</u>**

7.1 जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। इस प्रारूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का सारांश अंकित किया जाना है। संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रारूप में उल्लिखित सभी बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी पत्रावली पर प्रस्तुत करें ताकि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति समस्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत संस्थाओं के नवीनीकरण श्रेणी तथा नव प्रवेशित श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के संबंध में निर्णय ले सके।

7.2 संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे छात्र, जिनके आवेदन-पत्र राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये थे और जिनकी परीक्षणोपरांत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान की संस्तुति उनके द्वारा की जा रही है, के कारणों का विवरण जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष रखेंगे। इसी प्रकार ऐसे छात्र, जिनके आवेदन पत्र राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में सही पाये गये थे और जिनकी परीक्षणोपरांत उनके द्वारा भुगतान की संस्तुति नहीं की जा रही है, के कारणों का विवरण भी जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष रखेंगे। उनके द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि ऐसे सभी छात्रों के भुगतान को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के कारणों को उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्कालरशिप पोर्टल पर आनलाईन अंकित कर दिया गया है।

7.3 जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव का पत्रावली में अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उपरोक्त प्रारूप पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर स्कालरशिप पोर्टल पर स्कैन कराकर अपलोड हो जाय। **उक्त प्रारूप को अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 जनवरी, 2016 निर्धारित की जाती है।**

<u>उक्त प्रारूप को अपलोड कराने तथा नियमावली/शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन होने के उपरांत ही राज्य स्तर पर भुगतान की कार्यवाही संपादित की जायेगी।</u>

7.4 जनपद स्तर पर करायी गयी जांचों में जिन संस्थाओं के द्वारा फर्जी छात्रों के आवेदन-पत्र को अग्रसारित करने के तथ्य की पुष्टि होती है, उन्हें काली सूची में डालने की संस्तुति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में शासनादेश दिनांक 03 दिसंबर, 2014 द्वारा गठित समिति को अविलंब प्रेषित करेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित संस्थाओं की संबद्धता/मान्यता निरस्त करने के संबंध में भी नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इससे संबंधित विवरण को भी स्कालरशिप पोर्टल पर **<u>ब्लैक लिस्ट माड्यूल में अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।ब्लैक लिस्ट माड्यूल दिनांक 15 दिसंबर, 2015 से पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगी।</u>**

8- उपरोक्त शासनादेश संख्या-3346/26-3-2015, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि</u>

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-127/2015/4023/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन

2- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन

3- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन

4- सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन

5- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 शासन

6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश

7- निदेशक,समाजकल्याण/पिछड़ावर्गकल्याण/अल्पसंख्यककल्याण/प्राविधिकशिक्षा/उच्चशिक्षा/माध्यमिक शिक्षा,,उ0प्र0

8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश

9- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0, लखनऊ

10- गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदन का प्रारूप

जनपद.....

जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक ..... को आहूत की गयी, जिसमें समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत पात्र छात्रों को भुगतान के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

2- जनपद में **नवीनीकरण श्रेणी** के छात्रों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	विषय	संख्या	निष्कर्ष
1	जनपद में शिक्षण संस्थाओं की संख्या (स्कालरशिप पोर्टल के मास्टर डाटा के अनुसार)		
2.1	वर्ष 2014-15 के डाटा के आधार पर अर्ह नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या		
2.2	संस्थाओं द्वारा अग्रसारित छात्रों की संख्या		
2.3	अग्रसारित छात्रों का प्रतिशत (गत वर्ष के नवीनीकरण श्रेणी के अर्ह छात्रों के सापेक्ष)		

विभिन्न स्तर पर किये गये जांच का विवरण

3	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के स्तर से की गयी'		
4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी '		
5	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा करायी गयी '		

राज्य स्तरीय स्क्रूटनी से संबंधित विवरण

6.1	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में सही पाये गये छात्रों की संख्या		
6.2	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा नहीं की गयी		
6.3	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये छात्रों की संख्या		
6.4	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी		

नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों के संबंध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति

7.1	नवीनीकरण श्रेणी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा अंतिम रूप से शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनके छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की संस्तुति की गयी		
7.2	शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनकी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की संस्तुति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा नहीं की गयी		

निष्कर्ष के कालम में जांच आख्या के आधार परनवीनीकरण श्रेणी में अग्रसारित छात्रों में सही पाये गये छात्रों की संख्या तथा मिसिंग छात्रों के संबंध में संस्था द्वारा बताये गये कारण संतोषजनक अथवा असंतोषजनक पाये जाने के संबंध में टिप्पणी अंकित की जायेगी

3- जनपद में **नव प्रवेशित छात्रों** की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	विषय	संख्या	निष्कर्ष
1	जनपद में शिक्षण संस्थाओं की संख्या (स्कालरशिप पोर्टल के मास्टर डाटा के अनुसार)		
2.1	संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015-16 के डाटा के आधार पर नव प्रवेशित श्रेणी के अग्रसारितछात्रों की संख्या		
2.2	अग्रसारित छात्रों का प्रतिशत (वर्ष 2015-16 में नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित छात्रों के सापेक्ष)		

विभिन्न स्तर पर किये गये जांच का विवरण

3	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक/ क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के स्तर से की गयीरु		
4	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी		
5	शिक्षण संस्थाओं की संख्या तथा निष्कर्ष, जिनकी जांच जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा करायी गयी		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राज्य स्तरीय स्क्रूटनी से संबंधित विवरण

6.1	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में सही पाये गये छात्रों की संख्या		
6.2	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा नहीं की गयी		
6.3	राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये छात्रों की संख्या		
6.4	उपरोक्त में से शिक्षण संस्थाओं तथा उनके छात्रों की संख्या, जिनके भुगतान की संस्तुति जांचोपरांत संबंधित कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा की गयी		

नव प्रवेशित श्रेणी के छात्रों के संबंध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति

7.1	नव प्रवेशित श्रेणी में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा अंतिम रूप से शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनके छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की संस्तुति की गयी		
7.2	शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रों की संख्या, जिनकी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की संस्तुति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा नहीं की गयी		

निष्कर्ष के कालम में जांच आख्या के आधार पर नव प्रवेशित श्रेणी में अग्रसारित छात्रों में सही पाये गये छात्रों की संख्या के संबंध में टिप्पणी अंकित की जायेगी

4- यह प्रमाणित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में नियमावली में की गयी व्यवस्था तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

जिला समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/ अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी जिलाधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in